



विश्वभारती शांतिनिकेतन

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि उपाचार्य महोदय ने प्रो. मनोरंजन प्रधान, अध्यक्ष, भाषा-भवन को अपने सामान्य कार्य के साथ-साथ, सीवीसी सतर्कता नियमावली की पैरा 2.8.1 के संदर्भ में तीन माह की अवधि हेतु या अगले आदेश तक जो भी पहले हो विश्वविद्यालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

प्रो. सौविक घोष एवं प्रो. मनोरंजन प्रधान से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से संबंधित कार्यभार का हस्तांतरण करें।

संदर्भ सं. स्था/ई-III/सतर्कता
(कार्यकारी)

दिनांक: 27/09/2024

हस्ता/-
कुलसचिव

विश्वभारती

सेवा मे,

1. प्रो. मनोरंजन प्रधान, प्रिंसिपल, भाषा भवन
2. प्रो. सौविक घोष, कृषि विस्तार विभाग, पीएसबी

सूचना हेतु प्रति :

1. श्रीमान संजय कुमार, भारत सरकार के अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी निदेशक/ सभी प्रिंसिपल
3. सभी अकादमिक एवं गैर-शैक्षणिक विभाग/केंद्र/अनुभाग के प्रधान
4. वित्त अधिकारी
5. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक कुलसचिव
6. सीएमओ/यूई
7. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. कुलसचिव के निजी सहायक
9. सहायक कुलसचिव (बैठक) – कर्मसमिति की संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
10. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
11. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

12. व्यक्तिगत फाइल